राजस्थान सरकार

# कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

प.12/17( )राजस्व/भू.अ./2018/2024 दिनांक 16.07.2022

## विनिश्चय

(अंतर्गत धारा 8, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013)

राष्ट्रीय महत्त्व के केन्द्रीय संरक्षित स्मारक कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु ग्राम किला कुम्भलगढ़ के 25 खसरा नम्बरों में निहित 11 बीघा 05 बिस्वा भू–अवाप्ति के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंध 4 के तहत पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में तैयार की गई तथा स्वतंत्र बहु–विषयक विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात आंकलन के अंतिम प्रतिवेदन का मूल्यांकन करके अनुशंषा रिपोर्ट नियमानुसार प्रस्तुत की गई।

पूर्वकथित अधिनियम की धारा 3(ङ) के परंतुक के अनुसार किसी जिले के कलक्टर को, उस क्षेत्र के लिए जो उस क्षेत्र से, जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अधिक नहीं है, उस जिले में किसी लोक प्रयोजन के संबंध में समुचित सरकार समझा जाएगा। अधिनियम की धारा 8(1) के प्रावधानानुसार भूमि अर्जन संबंधी प्रस्थापनाओं और सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तथा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन संबंधी विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है तथा उपरोक्त उपधारा के बिन्दु (क) से (ङ) पर निष्कर्ष निम्नानुसार है –

| क्रम संख्या | बिन्दु | निष्कर्ष |
|---|---|---|
| क) | प्रस्तावित अर्जन का ऐसा विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है, जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है। | अधिनियम की धारा 2(1)(ख)(iv) के अंतर्गत पर्यटन परियोजना को लोक प्रयोजन के तहत अवसंरचना परियोजनाओं में शामिल किया गया हैं। प्रश्नगत भूमि अवाप्ति से ऐतिहासिक, पुरातत्व एवं पर्यटन की दृष्टि से कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने का प्रयोजन पूर्ण होता है, जिसके क्रियान्वयन से पर्यटकों को वाहन पार्किंग की समस्या तथा वर्तमान में ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। |
| ख) | खंड (क) के निर्दिष्ट संभाव्य फायदों और लोक प्रयोजन का सामाजिक खर्चो और ऐसे प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में अधिक प्रभाव होगा, जिसे सामाजिक समाघात निर्धारण, जो किया गया है, द्वारा अवधारित किया जाए। | उक्त भूमि अर्जन संबंधी सामाजिक समाघातो और प्रतिकर भुगतान की तुलना में भूमि अर्जन करके पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओ के लाभ अधिक सिद्ध होंगे। भूमि मौके पर खाली होने तथा विगत कुछ वर्षो से जमीन पर कोई कृषि कार्य संपादित नहीं होने के कारण सामाजिक समाघात अपेक्षाकृत स्वतः न्यून हो गए है। |
| ग) | परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के केवल न्यूनतम क्षेत्र के अर्जन की प्रस्थापना की जाए। | परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा पूर्णतया यथार्थ सीमा तक की ही है। |
| घ) | ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका उस क्षेत्र में पूर्व में अर्जन किया गया है। | इस प्रकार की कोई भूमि परियोजना क्षेत्र के आस पास उपलब्ध नहीं है। |
| ङ) | पूर्व में अर्जित और अनुपयोजित पड़ी रही भूमि, यदि कोई हो, का उपयोग उस लोक प्रयोजन के लिए किया जाए और वह उसकी बाबत सिफारिशें करेगी। | परियोजना निर्माण के लिए अन्य कोई भी पूर्व में अर्जित और अनुपयोजित पड़ी रही भूमि उपलब्ध नहीं है। |

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 8 तथा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2016 के नियम 12 के अनुसरण में लोगों का न्यूनतम विस्थापन, अवसंरचना, पारिस्थितिकी में कम से कम विघ्न और प्रभावित व्यक्तियों पर न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित करते हुए उपरोक्त लोक प्रयोजन हेतु ग्राम किला कुम्भलगढ़ के 25 खसरा नम्बरों में निहित 11 बीघा 05 बिस्वा के अर्जन का विनिश्चय एतत्द्वारा किया जाता है।

जिला कलक्टर
राजसमन्द